आवेदन पत्र संख्या :

पी० डी० ग्रुप ऑफ टेक्निकल इन्स्टीट्यूशन्स

संस्थान –

1. पी० डी० निजी आई०टी०आई० (संस्थान कोड – 1775)
   नरपतपुर, वाराणसी
2. पी० डी० ग्रुप ऑफ निजी आई०टी०आई० (संस्थान कोड–2189)
   पहड़ियाँ (डुबकियां बाजार), वाराणसी

प्रवेश/विवरण पुस्तिका

प्रस्तावना

हमारे प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (**Craftman Training Scheme**) का क्रियान्वयन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत ''राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.टी.) के निर्धारित व्यवसाय इलेक्ट्रिशियन व फीटर में प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस योजना का उद्देश्य उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल अर्जित करने, तकनीकी और औद्योगिक अभिव्यक्त उत्पन्न कर स्वरोजगार के लिये सक्षम बनाने एवं औद्योगिक उत्पाद की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षार्थियों को ज्ञान के साथ – साथ कौशल अर्थात कार्य को स्वयं द्वारा सम्पादित करने का अवसर प्रदान करना है।

प्रबन्धक की कलम से....

देश में तकनीकी विकास एवं नवयुवकों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु जून 2008 में इस संस्था की स्थापना की गई। यह संस्थान प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्ध तथा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन महानिदेशालय (डी.जी.ई.टी.) श्रम एवं पुनर्वास मंत्रालय भारत सरकार से स्थायी मान्यता प्राप्त प्रदेश का एक अग्रणी संस्थान है। संस्थान के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण उपरान्त राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.टी.) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित कराया जाता है। सफल प्रशिक्षार्थियों को अंक–पत्र उत्तर प्रदेश सरकार तथा प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

यह संस्थान उत्तर प्रदेश के तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों में विशिष्ट स्थान रखता हैं। संस्थान के पास फिटर व इलेक्ट्रिशियन की सुसज्जित आधुनिक कार्यशाला है, जिसमें भारत सरकार के मानकों के अनुरूप मशीनरी तथा उपकरण आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। संस्थान के पास अनुभवी एवं योग्य स्टाफ एवं अनुदेशक मौजूद है। संस्थान में उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों के छात्रों को भी प्रशिक्षण प्राप्त कराने की व्यवस्था है। संस्थान के प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण औद्योगिक प्रशिक्षण के उपरान्त ख्याति प्राप्त कारखानों में समायोजन की व्यवस्था कराने का प्रयास किया जायेगा।

प्रबन्धक – **डा. पी.डी. यादव**
B.Sc., B.A.M.S.

प्रवेश फार्म एवं विवरणिका का मूल्य :–

विवरण	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति/जनजाति
संस्था से नगद भुगतान द्वारा	300/–	250/–
रजिस्टर्ड डाक द्वारा मंगाने पर	350/–	300/–

संस्थान में संचालित ट्रेड :– **1. इलेक्ट्रिशियन** **2. फिटर**

सामान्य निर्देश

प्रवेश हेतु योग्यता –

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	वरीयता
1.	इलेक्ट्रिशियन	2 वर्ष	10वीं उत्तीर्ण (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ या उसके समकक्ष)	इण्टरमीडिएट
2.	फिटर	,,		,,

प्रशिक्षण सत्र –

1. नया प्रशिक्षण सत्र अगस्त माह से प्रारम्भ होता हैं।
2. रोजाना 8 घंटे का प्रशिक्षण होगा।
3. संस्थान के कार्यालय का समय प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक।

पाठ्यक्रम –

प्रथम वर्ष

1. सैद्धान्तिक
2. इंजीनियरिंग ड्राईग
3. इम्प्लायाबिलीटी स्किल
4. कार्यशाला गणना
5. प्रायोगिक

द्वितीय वर्ष

1. सैद्धान्तिक
2. इंजीनियरिंग ड्राईग
3. कार्यशाला गणना
4. प्रायोगिक

ड्रेस :– संस्थान में प्रवेश के समय से ही यूनिफार्म में आना अनिवार्य होगा। यूनिफार्म न होने पर अर्थदण्ड देय होगा।

आयु सीमा :–

शुरू हो रहे सत्र के 01 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगा।

स्वास्थ्य :–

प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे व्यवसायों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा शरीर में कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप वह अपने व्यवसाय की कार्यक्षमता को सम्पन्न न कर सकें।

प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेज :-

- हाईस्कूल अंक पत्र/प्रमाण पत्र की छायाप्रति – 4 प्रति स्वप्रमाणित
- अन्य शैक्षिक अंक पत्र/ प्रमाण पत्र (यदि हो) की छायाप्रति – 4 प्रति स्वप्रमाणित
- आधार कार्ड की छाया प्रति – 2 प्रति स्वप्रमाणित
- जाति प्रमाण पत्र – 2 प्रति स्वप्रमाणित
- निवास प्रमाण पत्र – 2 प्रति स्वप्रमाणित
- अन्तिम शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) – मूल प्रति
- पासपोर्ट साईज फोटो (कलर) – 6 कापी
- चरित्र प्रमाण पत्र – मूल प्रति

विद्यार्थियों के लिए N.C.V.T. के सामान्य नियम :

1. अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें। क्योंकि व्यावसायिक परीक्षा में बैठने के लिए 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। 80 प्रतिशत उपस्थिति से कम होने पर प्रशिक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।
2. जो अभ्यर्थी लगातार 10 दिन तक कक्षा में अनुपस्थित रहता है उसे चेतावनी भेज दी जायेगी। यदि चेतावनी के बाद भी वह उपस्थित नहीं होता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
3. उपस्थिति की गणना प्रवेश तिथि से प्रारम्भ होगी।
4. सार्वजनिक छुट्टियों के अतिरिक्त वर्ष में अभ्यर्थियों को 12 दिन का अवकाश दिया जाता है। किन्ही एक समय में 10 दिन से अधिक अवकाश स्वीकृत नहीं किये जायेंगे। रोग व चोट के कारण चिकित्सा प्रमाण पत्र पर 15 दिन का अतिरिक्त अवकाश भी स्वीकृत किया जा सकता है।
5. अभ्यर्थी की अपनी उपस्थिति अपने पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले अनुदेशक से प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह अवश्य तक ज्ञात कर लेनी चाहिए। यह उसका स्वयं का उत्तरदायित्व होगा।
6. प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को निर्धारित शिक्षण शुल्क संस्थान के कार्यालय में प्रतयेक माह की 07 तारीख नकद जमा करना होगा।
7. एक बार शुल्क जमा करने के पश्चात् किसी भी दशा में न तो शुल्क लौटाया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा।
8. निर्धारित तिथि पर शुल्क जमा करना होगा। न जमा कर पाने की स्थिति में विलम्ब शुल्क देय होगा।
9. प्रत्येक दशा में प्रशिक्षार्थियों को समस्त संचालित व्यवसाय के 24 माह का शुल्क जमा करना होगा। परीक्षा शुल्क व पूरक परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा।
10. प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नियमों/आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
11. प्रशिक्षण संस्थान में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होगा।
12. अपना परिचय–पत्र हमेशा साथ रखना अनिवार्य होगा।
13. प्रशिक्षण संस्थान गैर राजनैतिक एवं धर्मनिरपेक्ष संस्था है अतः प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को यह ध्यान रखना है कि संस्थान में धर्म एवं राजनैतिक चर्चा एवं परिचर्चा नहीं करनी है।
14. प्रशिक्षण के समय कोई अभिभावक बिना प्रधानाचार्य की पूर्वानुमति के न तो कक्षा में प्रवेश करेंगे और न ही किसी अध्यापक से बात करेंगे।

चयन प्रक्रिया :

1. प्रवेश वरीयता के आधार पर वरीयता क्रमानुसार दिये गये व्यवसाय में चयन किया जायेगा। जिसकी सूची संस्थान के सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी।
2. किसी ऐसे प्रवेशार्थी को संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जो किसी कालेज या संस्थान की परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए या प्रयोग करने का प्रयत्न करते हुए पकड़ा गया हो अथवा जिसके विरूद्ध दुव्यर्वहार का प्रतिवेदन लिखा गया हो।
3. किसी प्रवेशार्थी द्वारा कोई धनराशि जमा किये जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि वह संस्थान में प्रवेश या पुनः प्रवेश कर चुका है।
4. कोई भी प्रवेशार्थी संस्थान का प्रशिक्षार्थी तभी माना जायेगा जब उसका प्रवेश के लिए दिया गया आवेदन पत्र प्रवेश नियमों के अनुसार प्रधानाचार्य द्वारा स्वीकृत हो जाये तथा वह संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क एवं मांगे गये प्रपत्र जमा कर दें। ऐसा न करने की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके स्थान पर वरीयता क्रम में आने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा।
5. संस्था के निदेशक/प्रधानाचार्य को यह अधिकार होगा कि वह संस्थान हित में बिना कोई कारण बताये किसी अभ्यर्थी को प्रवेश न दें या निष्कासित कर सकता है।

अनुशासन :-

1. सभी प्रशिक्षार्थियों को अपना परिचय पत्र अपने साथ रखना अनिवार्य है। संस्थान निदेशक/प्रधानचार्य/कार्यदेशक तथा अनुदेशक के मांगने पर परिचय पत्र दिखाना होगा। परिचय–पत्र न दिखाने पर उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का संस्थान को अधिकार होगा।
2. कोई प्रशिक्षार्थी कक्षा में न तो देर से आयेगा और न ही समय से पूर्व जायेगा।
3. कोई प्रशिक्षार्थी संस्थान के प्रांगण में इधर–उधर नहीं घूमेगा और न ही गैलरी में या कक्षा के सामने खड़े होकर शोर करेगा।

इण्डस्ट्री में अप्रेन्टिस ट्रेनिंग की सुविधा :-

दो वर्ष के प्रशिक्षण के बाद संस्थान की तरफ से यह प्रयास किया जायेगा कि छात्रों को अपने ट्रेड में अप्रेन्टिस की सुविधा विभिन्न कम्पनियों में मिल सकेगा। अप्रेन्टिस 6 माह से लेकर चार वर्ष तक ट्रेड की मांग के अनुरूप कराया जाता है। अप्रेन्टिस करने के बाद आल इण्डिया ट्रेड टेस्ट कराया जाता है। इसमें सफल छात्र को नेशनल अप्रेन्टिस सर्टिफिकेट एन.सी.वी.टी. द्वारा प्राप्त प्रदान किया जाता है।

आवेदनकर्ता हेतु – आवेदन पत्र सं. .....

नाम .....

पिता का नाम श्री ..... सत्र .....

ट्रेड .....

पता .....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर